

राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुमाग—3)



क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/2014/61495 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, बांरा, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर।

जयपुर, दिनांक

9 DEC 505/

विषय :- जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2021 ,मतदान दिवस को महात्मा गांधी नरेगा कार्यों पर अवकाश रखने बाबत। प्रसंग :- राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा जारी प्रेस नोट दिनांक 24.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रेस नोट के द्वारा राज्य के बारां, कोटा करौली एवं श्रीगंगानगर जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 कराये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है।

अतः निम्नांकित मतदान दिवसों पर भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली के पत्र कमांक 100/आरजे—एलए/1/2021/एनएस—1/दिनांक 18.11.2021 (संलग्न) में प्रदत्त निर्देशानुसार सम्बन्धित क्षेत्र के मनरेगा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा।

प्रथम चरण	12.12.2021 (रविवार)
द्वितीय चरण	15.12.2021 (बुधवार)
तृतीय चरण	18.12.2021 (शनिवार)

उक्त सूचना की जानकारी आपके अधीनस्थ कार्यालय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करावें, ताकि महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

संलग्नः = उपरोक्तानुसार।

आयुक्त, हिजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर।

2. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारा, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर।

3. अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस, बारा, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर।

4. सूहायक निदेशक आईईसी ईजीएस को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

5 श्री रिक् छीपा, एमआईएस मैनेजर को अपलोड / ई-मेल करने बाबत।

अधिशाषी अमियंता, ईजीएस





भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय SECRETARIAT OF ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सहस

अशोक रोड नई दिल्ली-110001

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.100/RJ-LA/1/2021/NS-1

Dated:18th November, 2021

To

The Chief Electoral Officer, Rajasthan, Jaipur.

Subject:

Grant of paid holiday to "MGNREGA" employees on the day of poll-regarding.

Sir,

l am directed to refer to your letter No. एफ.8(2)(30)/निर्वा/2017/5874 dated 29.10.2021 and Commission's letter No. 78/2021-EPS dated 01.10.2021 and to say that as per the Section 135B of the Representation of the People Act, 1951

- (i) Every person employed in any business trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at election to the House of the People or the Legislative Assembly of a State shall, on the day of poll, be granted a holiday.
- shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

- (iii) If, an employer contravenes the provisions of sub-section (i) or sub-section (ii), then such employer shall be punishable with fine, which may extend to five hundred rupees.
 - (iv) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which is he is engaged.

In view of above, it is informed that MGNREGA is a GOI's Scheme since 2005, paid holiday may be granted to the workers registered under MGNREGA Scheme.

Yours faithfully,

(NAVIN KUMAR)
UNDER SECRETARY